न्यायालय :सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल, भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंजना अग्रवाल, RJS
फौजदारी प्रकरण संख्या – 129/2021
सीआईएस नंबर – 129/2021
एफआईआर नंबर – 45/2020–21 आबकारी गुलाबपुरा
CNR No. – RJBW170001512021
राज्य

----अभियोगी

– विरूद्ध –

लक्ष्मी देवी पत्नी राजेश कंजर निवासी स्टेशन नगर, मांडल, पुलिस थाना मांडल, जिला भीलवाडा (राज.)।

----अभियुक्ता

अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थितः–
1. सहायक अभियोजन अधिकारी राज्य सरकार की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री विशाल क्षौत्रिय, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता की ओर से।

– निर्णय – **दिनांक–07.03.2026**

घटना की दिनांक	20.10.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	21.10.2020
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	01.03.2021
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	01.03.2021
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	01.03.2021
बयान मुल्जिम लिए जाने की दिनांक	07.03.2026
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	07.03.2026
निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	07.03.2026
सजा आदेश यदि हो तो	दोषमुक्त

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खुमाणसिंह ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 20.10.2020 को दौराने रेड गश्त पानी की टंकी के पास कंजर बस्ती स्टेशन नगर माण्डल पीएस माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज.) से अभियुक्ता लक्ष्मी देवी पत्नी श्री राजेश जाति कंजर निवासी स्टेशन नगर, माण्डल, पीएस माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज.) के कब्जे शुदा एक प्लास्टिक जरीकेन में लगभग (04) चार लीटर नाजायज हथकड़ शराब भरी बरामद कर अभियुक्ता लक्ष्मी देवी द्वारा मौके से फरार हो जाने से उसके विरूद्ध फरारी में धारा 16/54 आर. ई. एक्ट 1950 के तहत अभियोग दर्ज रजिस्टर कर

एफ.आई.आर. जारी की गयी। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 45/2020–21 आबकारी गुलाबपुरा दर्ज किया। बाद आवश्यक अनुसंधान आबकारी गुलाबपुरा, भीलवाड़ा द्वारा अभियुक्ता के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में आरोप पत्र दिनांक 01.03.2021 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियुक्ता के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया।

2– दिनांक 01.03.2021 को अभियुक्ता के उपस्थित आने पर अभियुक्ता को अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्ता ने आरोप से इंकार कर, अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01	मोहनलाल	फर्द जप्ती, फर्द नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू. 02	जगमोहनलाल	फर्द जप्ती, फर्द नक्शा मौका, प्राप्ति रसीद
पी.डब्ल्यू. 03	मंदरुप सिंह	मालखाना रजिस्टर
पी.डब्ल्यू. 04	खुमाण सिंह	परिवादी व अनुसंधान अधिकारी

अभियोजन दस्तावेज सूची

क्रम सं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	फर्द जप्ती
02	प्रदर्श पी 02	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल
03	प्रदर्श पी 03	प्राप्ति रसीद
04	प्रदर्श पी 05	फर्द गिरफतारी
05	प्रदर्श पी 06	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
06	प्रदर्श पी 07	प्रथम सूचना रिपोर्ट
07	प्रदर्श पी 08	मुवमेंट रजिस्टर का प्रारूप
08	प्रदर्श पी 09	अग्रेषण पत्र
09	प्रदर्श पी 10	एफएसएल रिपोर्ट

3– अभियुक्ता का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया तो उन्होंने अभियोजन साक्ष्य एवं दस्तावेजात को गलत होना बताया। प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करने से इंकार किया एवं स्वयं को निर्दोष होना कथन करते हुए झूठा फंसाये जाने बाबत कथन किया।

4– अभियुक्ता द्वारा अपीलीय न्यायालय में हाजरी बाबत् धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत छः माह की अवधि हेतु 10 हजार रूपये का स्वयं का मुचलका एवं जमानत पेश कर तस्दीक करवाये गये।

5– बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है किः–

(क) दिनांक 20.10.2020 को समय 04.25 पी.एम. पर दौराने रेड व गश्त आम रास्ता पानी की टंकी के पास लक्ष्मी देवी के सचेत व संज्ञान कब्जे से प्लास्टिक जरीकेन में 04 लीटर नाजायज शराब बरामद की। एतदद्वारा अभियुक्ता ने धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 का अपराध कारित किया?

(ख) यदि हाँ, तो अभियुक्ता किस दण्ड से दण्डनीय होगी?

उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के निस्तारण हेतु बहस सुनी जाकर साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

6. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्ता ने अभियुक्ता को झूंठा फंसाये जाने का कथन किया एवं बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट व गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। मुलजिमा ने कोई अवैध शराब नहीं रखी। प्रकरण में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है। केवल पुलिस कार्यवाही करने वाले व्यक्ति ही साक्षीगण है। प्रकरण में तथ्यों को छिपाया गया है। अतः अभियुक्ता को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

7. सहायक अभियोजन अधिकारी के अनुपस्थित होने पर अधिवक्ता अभियुक्ता को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

8. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में कुल 04 गवाहों को परीक्षित कराया गया है, जिनमें गवाह पी.डब्ल्यु 01 मोहनलाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 20.10.2020 को आबकारी निरोधक दल गुलाबपुरा में सिपाही के पद पर कार्यरत था। उस रोज प्रहराधिकारी श्री खुमाण सिंह मय सिपाही हरदेव सिंह और जगमोहनलाल व जमादार मदरूप सिंह ईलाका गश्त करते हुए पानी की टंकी के पास कंजर बस्ती माण्डल स्टेशननगर पहुँचे। जहां पर एक महिला अपने हाथ में प्लास्टिक का जरीकन लिये आती हुई नजर आई। शंका होने पर महिला को आवाज देकर रोकना चाहा तो वो बावर्दी जाप्ता को देखकर घबरा कर प्लास्टिक के जरीकन को वही रख कर कंजर बस्ती के तंग गलियों में रूहपोश हो गई। पीछा करते हुए उसने उस महिला को लक्ष्मी देवी पत्नी राजेश कंजर निवासी स्टेशननगर माण्डल के रूप पहचान की। आस–पास के लोगों को स्वतंत्र गवाह बनाने का प्रयास किया किन्तु कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। जिस पर जाप्ते में से उसे व सिपाही जगमोहन लाल को गवाह मामूर कर लक्ष्मी द्वारा पटके हुए जरीकन को कब्जे में लेकर देखा और सुंघा जिसमें लगभग 4 लीटर अवैध हथकड शराब होना पाया गया। उक्त शराब में से एक पव्वा वास्ते एफएसएल निकाल कर सिलमोहर कर मार्का ए 1 दिया गया व शेष शराब को उसी जरीकन में रखकर सिलमोहर कर मार्क 1 दिया गया एवं शराब को फर्द जब्त किया गया। मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही मौके पर ही की गई। प्रदर्श पी 01 फर्द जब्ती 4 लीटर शराब है। प्रदर्श पी 02 नक्शा मौका घटनास्थल है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता गवाह ने कथन किया है कि उनकी रेगुलर गश्त होती है किसी ने उसे सूचना नहीं दी। गश्त के समय प्रहराधिकारी खुमाण सिंह, जगमोहन और हरदेव सिंह और एक होमगार्ड थे। यह कहना सही है कि घटना का स्थान आम रास्ता था। मौके पर शाम 4.30 बजे पहुंचे थे। यह कहना सही है कि पानी की टंकी दक्षिण दिशा की ओर है। यह कहना गलत है कि पानी की टंकी उत्तर दिशा की ओर हो। जरीकन का रंग और उस पर क्या नाम अंकित था उसे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि सैम्पल मौके पर ही निकाला हो। यह कहना सही है कि शराब को किसी मापक यंत्र से नहीं मापा था। यह कहना सही है कि वह मुलजिमा को पहले से नहीं जानता था। यह कहना सही है कि उसने सुंघा और चखा नहीं था। यह कहना गलत है कि जरीकन में केरोसिन भरा हुआ हो। शंका के आधार मुलजिमा घबरा गई थी और वे वहां पर रास्ते में अलग कार्यवाही से जा रहे थे तो वो

उन्हें देखकर घबरा गई थी। यह कहना सही है कि घटनास्थल एक आम रास्ता है जहां पर लोगों का आना जाना रहता है।

9. गवाह पी.डब्ल्यू 02 जगमोहनलाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 20.10.2020 को आबकारी निरोधक दल गुलाबपुरा में सिपाही के पद पर कार्यरत था। उस रोज प्रहराधिकारी श्री खुमाण सिंह मय सिपाही हरदेव सिंह और मोहनलाल व जमादार मदरूप सिंह ईलाका गश्त करते हुए। पानी की टंकी के पास कंजर बस्ती माण्डल स्टेशन नगर पहुँचे। जहां पर एक महिला अपने हाथ में प्लास्टिक का जरीकन लिये आती हुई नजर आई। शंका होने पर महिला आवाज देकर रोकना चाहा तो वो बावर्दी जाप्ता को देखकर घबरा कर प्लास्टिक के जरीकन को वही रख कर कंजर बस्ती के तंग गलियों में रूहपोश हो गई। पीछा करते हुए सिपाही मोहनलाल ने उस महिला को लक्ष्मी देवी पत्नी राजेश कंजर निवासी स्टेशन नगर माण्डल के रूप पहचान की। आस पास के लोगों को स्वतंत्र गवाह बनाने का प्रयास किया किन्तु कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। जिस पर जाप्ते में से उसे व सिपाही मोहनलाल को गवाह मामूर कर लक्ष्मी द्वारा पटके हुए जरीकन को कब्जे में लेकर देखा और सुंघा जिसमें लगभग 4 लीटर अवैध हथकड शराब होना पाया गया। उक्त शराब में से एक पव्या वास्ते एफएसएल निकाल कर सील मोहर कर मार्का ए 1 दिया गया व शेष शराब को उसी जरीकन में रखकर सील मोहर कर मार्क 1 दिया गया एवं शराब को फर्द जब्त किया गया। मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही मौके पर ही की गई। प्रदर्श पी 01 फर्द जब्ती 4 लीटर शराब है। प्रदर्श पी 02 नक्शा मौका घटनास्थल है। दिनांक 12.11.2020 को उसे प्रकरण संख्या 45/20–21 में वास्ते एफएसएल निकाला गया एक पव्वा जो कि सील्डमोहर अवस्था में था। मय दो तहरीर एफएसएल अजमेर में जमा करवाने हेतु दिया गया जिसे उसने एफएसएल अजमेर में जमा करवा दिया गया है। प्राप्ति रसीद कार्यालय हाजा में जमा करवाई जो प्रदर्श पी 03 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता गवाह ने कथन किया है कि उनकी रेगुलर गश्त होती है किसी ने उसे सूचना नहीं दी। गश्त के समय प्रहराधिकारी खुमाण सिंह जगमोहन और हरदेव सिंह और एक होमगार्ड थे। यह कहना सही है कि घटना का स्थान आम रास्ता था। मौके पर शाम 04:30 बजे पहुंचे थे। यह कहना सही है कि पानी की टंकी दक्षिण दिशा की ओर है। यह कहना गलत है कि पाकी की टंकी उत्तर दिशा की ओर हो। जरीकन का रंग और उस पर क्या नाम अंकित था उसे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि सैम्पल मौके पर ही निकाला हो। यह कहना सही है कि शराब को किसी मापक यंत्र से नहीं मापा था। यह कहना सही है कि वह मुलजिमा को पहले से नहीं जानता था। यह कहना सही है कि उसने सुंघा और चखा नहीं था। यह कहना गलत है जरीकन में केरोसिन भरा हुआ हो। शंका का आधार मुलजिमा घबरा गई थी और वे वहां पर रास्ते में अलग कार्यवाही से जा रहे थे तो वो उन्हें देखकर घबरा गई थी। यह कहना सही है कि घटनास्थल एक आम रास्ता है जहां पर लोगों का आना–जाना रहता है। सैम्पल एक ही था। यह कहना गलत है कि सैम्पल सीलचीट अवस्था नहीं था। सैम्पल प्राप्त होने से ढाई घण्टे उसके पास रहा था। यह कहना सही है कि सैम्पल जमा करवाने की प्राप्ति रसीद पत्रावली में नहीं है, परन्तु उसने आबकारी गुलाबपुरा में लाकर दी थी।

10. गवाह पी.डब्ल्यू 03 मंदरूप सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 20.10.2020 को वह आबकारी थाना गुलाबपुरा में जमादार के पद पर पदस्थापित था। दिनांक 20.10.2020 को अभियुक्ता लक्ष्मी देवी को उसके समक्ष श्री खुमाण सिंह प्रहराधिकारी ने जरिये फर्द प्रदर्श 5 गिरफतार किया था। उस दिन श्री खुमाण सिंह प्रहराधिकारी ने मु. सं. 45/2021 में एक पव्वा सीलचिट, सीलचिट जरीकेन उसे दिया। उसने उन्हें मालखाना रजिस्टर में क्रमांक 45/2021 में दिनांक 20.10.2020 को

इन्द्राज किया। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 6 है एवं जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 6 (ए) है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि सीलचिट अवस्था में ढक्कन कौनसे रंग का था, ये उसे आज याद नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 6 (ए) मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित फोटो–प्रति नहीं है, बल्कि अलग से कंप्यूटर से टाईप की हुई है।

11. गवाह पी.डब्ल्यू 04 खुमाण सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 20.10.2020 को थाना गुलाबपुरा में प्रहराधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह, मोहनलाल व जगमोहन लाल सिपाही रेड गश्त करते हुए पानी की टंकी के पास कंजर बस्ती माण्डल स्टेशन नगर पहुंचे कि सामने से एक महिला अपने हाथ में वजनदार प्लास्टिक जरीकेन लेकर आती नजर आई। जिसे शक के आधार पर रोकना चाहा तो वह जाप्ते को देखकर सकपकाई व घबराहट में उसके कब्जेशुदा प्लास्टिक की जरीकेन को वहीं जमीन पर छोड़कर पीछे कर भागने लगी। जिसको जाप्ते की मदद से रोकने का प्रयास किया। लेकिन वह कंजर बस्ती की गलियों में होती हुई रूहपोश हो गई। पीछा करते वक्त मोहनलाल ने उस महिला को बतौर लक्ष्मी देवी पत्नी राजेश निवासी स्टेशन नगर माण्डल पी.एस. माण्डल जिला भीलवाड़ा का होना बताया। आसपास के लोगों को गवाह बनने हेतु कहा, परंतु उन्होंने इंकार कर दिया। जिस पर जापते में से मोहनलाल व जगमोहन को गवाह मामूर कर लक्ष्मी देवी द्वारा पटके गए प्लास्टिक जरीकेन को खुलवाकर देखा तो जरीकेन में 4 लीटर नाजायज हथकड़ शराब भरी बरामद हुई। जिसे सूंघा व सुंघाया तो सबने हथकड़ शराब होना बताया। मौके पर बदामद शराब में से एक साफ कांच के पव्वे में रासायनिक जांच हेतु अलग निकालकर मार्क ए। अंकित किया तथा शेष शराब को उसी जरीकेन में देखकर मार्क ए अंकित किया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 1 है। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाया गया। तत्पश्चात मय जप्तशुदा शराब थाने पर आकर मुकदमा दर्ज कराया, जो प्रदर्श पी 7 है। जप्तशुदा शराब को मंदरूप मालखाना इंचार्ज को सीलशुदा अवस्था में मार्क ए व ए 1 को जमा मालखाना कराया। मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श 6ए है। मुवमेंट रजिस्टर का प्रारूप प्रदर्श पी 8 है। दिनांक 20.10.2020 को उसके द्वारा अभियुक्ता लक्ष्मी देवी को जरिये फर्द प्रदर्श पी 5 गिरफतार किया गया। उसके द्वारा दिनांक 12.11.2020 को जगमोहन को नमूना सैंपल एफएसएल ले जाने हेतु दिया। अगेषण प्रत्र प्रदर्श पी 9 है। प्रदर्श पी 3 प्राप्ति रसीद है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 है। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाह मोहनलाल, मंदरूप, जगमोहन के बयान लेखबद्ध किये गए। बाद अनुसंधान अभियुक्त लक्ष्मी कंजर पत्नी राजेश के विरूद्ध धारा 16/54 का अपराध प्रमाणित मान न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता गवाह ने कथन किया है कि यह उनकी रेगूलर गश्त थी। पानी की टंकी रेलवे ब्रिज से उत्तर दिशा कि ओर है। जरीकेन का रंग व उस पर क्या लिखा था, यह उसे आज याद नहीं है। यह कहना गलत है कि सैंपल को मौके पर ना निकाला हो। उन्होंने शराब को मौके पर मापक यंत्र से मापा था। उन्होंने 1 लीटर के प्लास्टिक के जरीकेन से शराब को मापा था। यह कहना सही है कि उक्त पत्रावली में उन्होंने कहीं भी नहीं लिख रहा है, कि शराब को 1 लीटर जार से मापा हो। वह मुल्जिमा को पहले से नहीं जानता था। यह कहना सही है कि घटना स्थल आम रास्ता होकर वहां बहुत से लोग आते–जाते हैं। उसने शराब को सुंघा था, चखा नहीं था। सैंपल के टैग पर 20.10.20 दिनांक लिखी थी। सैंपल पर मोहनलाल व जगमोहनलाल के हस्ताक्षर थे। यह कहना गलत है कि उन्होंने सैंपल को सीलचिट नहीं किया हो। यह कहना गलत है कि जरीकेन में केरोसिन भरा हो।

12. पत्रावली पर आई अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन करने से जाहिर है कि गवाह

पी.डब्ल्यू 04 खुमाणसिंह ने दिनांक 20.10.2020 को मय जाप्ता मोहनलाल व जगमोहनलाल के साथ रेड गश्त करते हुए पानी की टंकी के पास कंजर बस्ती मांडल स्टेशन नगर पहुंचने, सामने से एक महिला का जरीकेन लेकर नजर आने, जाप्ते को देखकर महिला प्लास्टिक के जरीकेन को वहीं जमीन पर छोड़कर भाग जाने, पीछा करते वक्त मोहनलाल के द्वारा उस महिला को बतौर लक्ष्मी देवी पत्नी राजेश निवासी स्टेशन नगर मांडल पुलिस थाना मांडल जिला भीलवाड़ा के रूप में पहचानने का कथन किया है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह मुल्जिमा को पहले से नहीं जानता था। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 04 खुमाणसिंह ने मौके पर से महिला का जरिकेन पटककर भाग जाने व मोहनलाल के द्वारा महिला को बतौर लक्ष्मी देवी पहचानने एवं स्वयं का मुलजिमा को पहले से नहीं जानने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 04 खुमाण सिंह ने स्वयं के साथ मौके पर मोहनलाल व जगमोहन की उपस्थिति बताई है। इस संबंध में गवाह पीडब्लयू 02 जगमोहनलाल के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 02 जगमोहन ने मुख्य परीक्षा में मोहनलाल के द्वारा महिला को लक्ष्मी देवी पत्नी राजेश के रूप में पहचानने का कथन किया है। उक्त गवाह ने दौराने जिरह कथन किया है कि यह कहना सही है कि वह मुलजिमा को पहले से नहीं जानता था। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 04 खुमाण सिंह व पीडब्लयू 02 जगमोहनलाल ने मौके पर महिला का मौके से भाग जाने एवं मोहनलाल के द्वारा उस महिला को लक्ष्मी पत्नी राजेश के रूप में पहचानने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 04 खुमाण सिंह व पीडब्लयू 02 जगमोहनलाल ने महिला को बतौर लक्ष्मी जाप्ते के सदस्य मोहनलाल के द्वारा पहचानना बताया है। इस संदर्भ में गवाह पीडब्लयू 01 मोहनलाल के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्लयू 01 मोहनलाल ने मुख्य परीक्षा में महिला का पीछा करते हुए स्वयं के द्वारा महिला को लक्ष्मी देवी पत्नी राजेश कंजर निवासी स्टेशन नगर मांडल के रूप में पहचानने का कथन किया है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि यह कहना सही है कि वह मुलजिमा को पहले से नहीं जानता था। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 01 मोहनलाल ने दौराने जिरह मुल्जिमा को पहले से नहीं जानने के कथन किये है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट ही नहीं है कि जब मोहनलाल अभियुक्ता को पहले से नहीं जानता था तो उसके द्वारा मौके पर उस महिला की पहचान बतौर लक्ष्मी देवी पत्नी राजेश कंजर किस प्रकार से की गई। अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि अभियुक्ता लक्ष्मी को प्रकरण में किस प्रकार संलिप्त किया गया जिससे अभियोजन तथ्यों पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

13. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्ता पर आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 20.10.2020 को समय 04.25 पी.एम. पर दौराने रेड व गश्त आम रास्ता पानी की टंकी के पास लक्ष्मी देवी के सचेत व संज्ञान कब्जे से प्लास्टिक जरीकेन में 04 लीटर नाजायज शराब बरामद की।

14. अभियुक्ता लक्ष्मी देवी को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

15. अतः अभियुक्ता लक्ष्मी देवी पत्नी राजेश कंजर निवासी स्टेशन नगर, मांडल, पुलिस थाना मांडल, जिला भीलवाडा (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

16. अभियुक्ता द्वारा पूर्व में न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

17. हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा शराब का यदि निस्तारण नही हुआ है तो बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित कि जावें।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, भीलवाड़ा

18– निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, भीलवाड़ा